े विषय:--न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू० पी० क्रमांक 1062/2016, डॉ. शरद पंडित, जिला—इन्दौर, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रमारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

डॉ. शरद पंडित, जिला—इन्दौर, ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजनांतर्गत हितग्राहियों के मुगतान के संबंध में याचिका क्रमांक 1062/2016, दायर की है। विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण, में प्रमुख सचिव एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण धार, जिले से संबंधित है ।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को नियत है/थी। जिसमें शासन पक्ष की ओर से अतः प्रकरण में शासन पक्ष की और से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय—सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी अधीक्षक(लीगल) गर्म किस्स विभाग की डोकित काला न्योहरों।

Director (legal)

21 Tes 00 448-43, 180 (5/03/16


|५|3||५ रामालक स्वास्थ्य सेवारे मध्यप्रदेश

22 3 16

Λν 35.3.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,म.प्र.

विषय:—न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू० पी० क्रमांक 1062/2016, डॉ. शरद पंडित, जिला—इन्दौर, विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जीने बाबत्।



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,म.प्र.

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process 141: 9584/2016

at Indore

Deputy Registrar,

High Court of Judicature

From

WP/1062/2016

Against Admission and IR

Fixed for 11-04-2016 <u>WP-DA-1</u>

Respondent No. 2

Commissioner, Health Services.

Satpuda Bhawan Bhopal,

District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 11-02-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition/Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 1062/ 2016

Sir Madaa.,

I am directed to inform you that one Dasharad Pandit has filed a petition under Article 226 of : 2 Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Candames, Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/1062/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on to before 11-04-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

: Seal of the Court). Fact: Copy of Petition

MAFFIXED OF SETOLIS

Your's faithfully

Monday 08 February 2016 12:18 PM

2 of 3





IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. 1062/2016

PETITIONER

Dr. Sharad Pandit

<u>Versus</u>

RESPONDENTS

State of M.P. & Others

INDEX

\$.	Description of Documents	Date	Annexure	Page No.
No.	,	!	No. (if	of
			any)	Documen
				ts
. !				
1.	Chronology of dates & events			A-A
2.	Writ petition along with affidavit.		İ	1-12
3.	List of Documents			3-13
4.	Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1.		P/J	14-14
5.	Copy of news item dated 04/02/2016.		P/2	15-15
6.	Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department		P/3	16-18
7.	Copy of order dated 05/11/2014.		P/4	19-23
8.	Copy of order dated 05./03/2015 mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme.		P/5	24-25
9.	Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore.		P/6	26-33
10.	Copy of letter dated 07/03/2015.		P/7	34-35
11.	Copy of letter dated 29/09/2015		P/8	36-37
12.	Copy of letter dated 04/12/2015		P/9	38-38
13.	Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries.		P/10	39-41
14.	Copy of list of pending beneficiaries.		P/11	42-43
15.	Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia".		P/12	44-44
16.	Power		<u> </u>	45-45
Indore		•	Submitt	ed By

Dated: 05/02/2016

Ablicar P. Shanolkar

DECLARATION

(Under Rule 25 Chapter X)

The copies, as required by Rule 25 of Chapter X of the High Court of
Madhya Pradesh, 2008 have been served upon STATE OF M.S.
(the person upon whom the copies have been served) at
(time) on Osfortroib (date) in INDOLE.
(place).

Advocate for the petitioner / appellant

√Abhinav P. Dhanodkar



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. 1062/2016

PETITIONER

Dr. Sharad Pandit

Versus

<u>RESPONDENTS</u>

State of M.P. & Others

Chronelogy of Dates and Events

S. No.	Date	Event
1.		Government of Madhya Pradesh has framed a
		scheme namely "Mukhyamantri Bal Shravan
		Yojna" wherein treatment of the children born
		with hearing disability (deaf) are provided
		financial help for their treatment.
2.		The allegation was made against the petitioner that
		he had returned a case of one girl child resident of
:		Khandwa. It has been alleged that the parents of
		the girl child had made a complaint to the Chief
·]		Minister in "Jan Sunwai" that the petitioner has
ľ		returned their case arbitrarily.
3.	04/02/2016	A news item was published in daily newspaper
ľ		"Dainik Bhaskar" with a title "JD Dr. Sharad
		Pandit suspended by CM".
4.	04/02/2016	The Chief Minister acting promptly directed the
		Respondent No. 1 to suspend the petitioner
		without going into the roots of the matter and
Ţ,	٠.	WHOOM calling one was
		Detitioner It is firsthan
~ [compliance of the oral instruction of the Chief
]		Minister, the Respondent No. I has issued the
ľ		impugned order of suspension making false and
		baseless allegations.

Indore

Dated: 05/22/2016

Submitted By

Counsel of Petitioner
Abbinav P. Dhanodkar



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

W.P. No. 10 62 /2016

PETITIONERS

Dr. Sharad Pandit S/o Late Shri

Yashwant Rao Pandit

Age: 65 years, Occupation: Service, Address: 316 A.D., Scheme No. 74, Vijay Nagar, Indore – (M.P.)

<u>Versuş</u>

RESPONDENTS

- The State of Madhya Pradesh Through Principal Secretary, Ministry of Public Health & Family Welfare, Vallabh Bhawan, Bhopal - (M.P.)
- Commissioner, Health Services Satpuda Bhawan, Bhopal - (M.P.)
- Chief Medical & Health Officer
 Office of the CMHO
 Indore (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA

The humble petitioner most respectfully submits as under:-

- 1. Particulars of the cause/order against which the petition is made:
- (1) Date of Order: 04/02/2016
- (2) Passed in: In the matter of suspension of petitioner
- (3) Passed by: Respondent Department.
- (4) Subject-matter in brief:-

By filing the present petition, the petitioner is challenging the order dated 04/02/2016 passed by Respondent No. 1 whereby the Respondent No. 1 vide order dated 04/02/2016 suspended the petitioner

The second

with the allegation to carelessness in Government work and financial irregularities particularly in Scheme Known as Chief Minister Cochlear Implant Scheme

The above mentioned action of the Respondents is illegal, arbitrary and without jurisdiction and also in gross violation of principles of natural justice since the suspension order has been issued all of sudden and no show cause notice or no opportunity of hearing has been granted to the petitioner.

It is submitted that the order was issued on the instructions of the Chief Minister of state without looking into the actual condition and facts of the matter. A Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1 is filed and marked as Annexure - P/1.

2. A DECLARATION THAT NO PROCEEDING ON THE SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN PREVIOUSLY INSTITUTED IN ANY COURT, AUTHORITY OR TRIBUNAL, IF INSTITUTED THE STATUS OR RESULT THEREOF, ALONG WITH COPY OF THE ORDER:-

The petitioners declare that the matter, regarding which this petition has been made, is not pending in any other court of law or any bench of any tribunal.

3. <u>DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:</u>

The Petitioners declares that he has availed all statutory and other remedies.

4. <u>DELAY IF ANY, IN FILING THE PETITION, AND</u> <u>EXPLANATION THEREOF:</u>

There is no delay requiring special explanation.

Re

FACTS OF THE CASE:-

- 5.1) That, the Petitioner is Doctor by profession and presently posted as Joint Director, Health, Indore Division, Indore, and performing his duties with utmost sincerity and diligence without a blemish on his career throughout being responsible citizen of India and entitled to the rights, dignity and privileges and bound by the duties imposed by the Constitution of India.
- 5.2) That, Respondent No. 1 to 3 are instrumentality of State of Madhya Pradesh and falls under the scope of Article 12 of Constitution of India and therefore amenable under the Writ jurisdiction of this Hon'ble Court.
- 5.3) That, on 04/02/2016, a news item was published in daily newspaper "Dainik Bhaskar" with a title "JD Dr. Sharad Pandit suspended by CM". It was further alleged in the newspaper that the petitioner has been suspended for the reason that he had returned a file of treatment of a girl child resident of Khandwa. A Copy of news item dated 04/02/2016 is filed and marked as Annexure P/2. The above mentioned news was to the utter surprise of petitioner since the petitioner had not committed any regularity or any discrepancy in the above mentioned matter since the case of the girl child.
- That, the petitioner is present posted at Joint Director, Health Services, Indore Division, Indore, and being on the above mentioned post, it is duty of the petitioner to look after the implementation of Government schemes for the interest of public at large and the petitioner is performing his above mentioned responsibility with utmost sincerity and dedication and no scope for lacuna or loopholes has been left on the part of petitioner while implementing the above mentioned scheme.

yre-

5.5) That, the Government of Madhya Pradesh has framed a scheme namely "Mukhyamantri Bal Shravan Yojna" wherein treatment of the children born with hearing disability (deaf) are provided financial help for their treatment. The Ministry of Social Justice and Disability Welfare issued an order dated 29/09/2014 for the implementation of the above mentioned scheme wherein the conditions for implementing the scheme has been provided. A Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department is filed and marked as Annexure – P/3.

In view of above mentioned order issued by Ministry of Social Justice and Disability Welfare, the Directorate Health Services issued an order dated 05/11/2014 wherein procedure for sanctioning the cases of beneficiaries under above mentioned scheme. A Copy of order dated 05/11/2014 is filed and marked as Annexure – P/4. It is clear from the above mentioned order that the above mentioned scheme was aimed to be implemented till 31/12/2014.

It is worth mentioning here that a Committee was constituted as per order dated 05/11/2014 which was headed by Commissioner, Indore, and the present petitioner was also part of the above mentioned Committee. It is further submitted that any cases scheme will be sanctioned by the Committee. The cases sanctioned by the Committee are forwarded to the concerned Nodal hospital for treatment of the beneficiary under the above mentioned scheme and the entire expenses of the treatment of the said beneficiary is borne by the State of Madhya Pradesh.

It is also pertinent to mention here that the Respondent No. I has sanctioned a list of hospitals to provide the treatment under the scheme as a Nodal hospital and the treatment under the above mentioned scheme can be done only in the Nodal hospital sanctioned by the

Prop.



Respondent No. 1. A Copy of order dated 05./03/2015 mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme is filed and marked as Annexure – P/5. It is submitted that the selection hospital will the hospital which is near to the home town of the applicant child as after treatment /operation ,there will an continues therapy for the concern child.

- Medical College & Hospital, Indore, is the Nodal hospital for the purpose of above mentioned scheme for the purpose of treatment of beneficiaries of Indore area. It is also clear from above mentioned order that only an amount of Rs. 6.50 lacs has been sanctioned in year 2015 for the purpose of the above mentioned scheme and due to unavailability of funds by the Respondent No. 1, the petitioner was facing difficulties in the implementation of above mentioned scheme. The above mentioned fact is evident from the letters / demand for payment issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, on various dates demanding the payment against the operations performed under the above mentioned scheme in year 2015. A Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, are filed and marked as Annexure P/6. (Collectively)
- 5.7) That, the Commissioner, Indore, sent a letter dated 07/03/2015 to the Commissioner, Health Services, Bhopal, whereby the Commissioner, Indore, has raised a demand for dues against the payment pending to the hospitals for the operations (cochlear implant) already done by the hospitals. It is also mentioned in the above mentioned letter that near about 40 applications were still pending as on 07/03/2015 but the treatment could not be done due to unavailability of funds. A Copy of letter dated 07/03/2015 is filed and marked as Annexure P/7.

re-



It is also worth mentioning here that the Additional Director, Social Justice & Disability Welfare Department sent a letter dated 29/09/2015 to the Commissioner, Indore, wherein the authority has clearly mentioned that payment of Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore, is pending against the cases of year 2014 itself for the operations already performed by the hospital. A Copy of letter dated 29/09/2015 is filed and marked as Annexure – P/8.

- That, the Commissioner, Indore, has also written a letter to 5.8) the Commissioner, Public Health & Family Welfare Department, regarding the allotment of budget for the purpose of treatment of the children under the above mentioned scheme vide letter dated 04/12/2015. A Copy of letter dated 04/12/2015 is filed and marked as Annexure - P/9. In spite of above mentioned several communication letters and the demands raised by the Nodal hospitals, the funds has not been allotted by the Respondents for the payment of dues against the treatment already done by the hospital. It is further submitted that due to unavailability of funds, the cases of several beneficiaries are pending for the treatment hence the Commissioner, Indore, made a request to the Joint Director, Government of India, vide letter dated 29/01/2016 to grant permission to perform the surgery of pending beneficiaries under the scheme of Central Government since the State Government has not allotted funds for the above mentioned in previous financial year. A Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries is filed and marked as Annexure - P/10.
- 5.9) That, as per record available in the office of Commissioner, Indore, a total number of 46 cases of the beneficiaries are pending for the surgery as on date. The investigation in the cases of the pending beneficiaries has already been done by the department of petitioner but due to unavailability of funds, the operations could not have been done

Me.



till date. A Copy of list of pending beneficiaries is filed and marked as Annexure - P/11.

- 5.10) That, the petitioner has been served with suspension order (Annexure - P/1) on 04/02/2016 mentioning the reason of carelessness in Government work and financial regularities but in fact the petitioner has been put to suspension due to an order of the Chief Minister of Madhya Pradesh as published in daily newspaper "Dainik Bhaskar" for the allegation that the petitioner has returned a case of one girl child resident of Khandwa. It has been alleged that the parents of the girl child had made a complaint to the Chief Minister in "Jan Sunwai" that the petitioner has returned their case arbitrarily. The Chief Minister acting promptly directed the Respondent No. 1 to suspend the petitioner without going into the roots of the matter and without calling any explanation from the petitioner. It is further submitted that in compliance of the oral instruction of the Chief Minister, the Respondent No. I has issued the impugned order of suspension making false and baseless allegations.
- 5.11) That, the petitioner most humbly submits that the case of girl child of Khandwa was not returned at the instance of petitioner since the petitioner is not sole authority for sanctioning the case of beneficiaries under the above mentioned scheme because the case for above mentioned scheme are sanctioned by a Committee constituted under the scheme headed by Commissioner, Indore, hence the suspension of petitioner is unjust, unfair, illegal and arbitrary. It is worth mentioning here that the reason behind returning the case of alleged girl child is unavailability of funds for implementation of above mentioned scheme, the case was not return The above mentioned fact is also evident from the news item dated 04/02/2016 published in daily newspaper "Nai Dunia" wherein it is clearly mentioned that near about 7,000 children are still waiting for their turn for the treatment under the



above mentioned scheme and the treatment of children could not have been done since the Government has not paid the dues of hospitals for the surgeries already done. A Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia" is filed and marked as Annexure - P/12.

- 5.12) That, the petitioner further submits that the suspension of petitioner is contrary to Rule 9 of M.P. Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966. Rule 9 of above mentioned Rules provides for suspension of a Government servant.
- 5.13) That, the above mentioned action of the Respondents is illegal, arbitrary, discriminatory and without jurisdiction and gross violation principle of natural justice.

Being aggrieved with illegal and arbitrary action on the part of Respondent No. 1, the petitioners are filing present petition before this Hon'ble Court on the grounds as under:

GROUNDS URGED:-

- 6.1 Because, the impugned order is illegal and arbitrary and based on false and baseless allegations since the petitioner has been performing his duties with utmost sincerity and dedication without any blemish throughout his career.
- 6.2 Because, the suspension of petitioner is based on an oral instruction issued by the Chief Minister of Madhya Pradesh upon a false complaint.
- 6.3 Because, the instruction issued by the Chief Minister to the Respondent No. 1 in haste and hurry without calling any explanation and without granting any opportunity of hearing and

me

without going into the roots of the matter and the Respondent No. 1 has suspended the petitioner on above mentioned instruction.

- 6.4 Because, the petitioner has tried his level best to implement the scheme of the State Government for treatment of the children suffering with hearing disability but due to unavailability of funds from the Respondent No. 1, the above mentioned scheme could not be properly implemented which is evident from the Annexures. It is further submitted that a total number of 46 children are still queue for the (cochlear implant) surgery but the same could not be done due to unavailability of funds.
- 6.5 Because, the Respondent No. I has leveled the charge of financial irregularity and carelessness in Government work which is false and baseless since the department of the petitioner had no funds for implementation of the scheme hence question of carelessness and financial irregularity by the petitioner does not arise.
- 6.6 Because, it is evident from the Annexures that the Respondent No. 1 has allotted only an amount of Rs. 6.50 lacs for the year 2015 wherein lots of dues are already pending for payment of the Nodal hospital against the surgery already performed in year 2014 hence the alleged allegation of not sanctioning case under the scheme is false and baseless and remains out of question.
- 6.7 Because, the petitioner is not sole authority for sanctioning a case of beneficiaries under the above mentioned scheme since a Committee headed by Commissioner, Indore, only is authorized to sanction the case of beneficiaries for the purpose of the above mentioned scheme hence the petitioner cannot be made solely responsible for non-implementation of the scheme.

pag.



- 6.8 Because, the reason behind non-implementation of the scheme is only and only unavailability of funds hence in absence of funds itself, the allegation of financial irregularity does not survive.
- 6.9 Because, the suspension order issued under Rule 9 of M.P. Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966, is not a routine order and it cannot be issued without proper application of mind.
- 6.10 Because, the impugned order has been passed in utter violation of principles of natural justice since the petitioner has not been served with any show cause notice and has not been granted an opportunity of hearing before his suspension.
- 6.11 Because, the petitioner has invested his entire life to serve the department as well as public at large and only short tenure of 10 months of service of petitioner is remaining hence the order of suspension at the fag end of service is neither just nor proper for false and baseless reasons.
- 6.12 That, other grounds will be urged at the time of the hearing of the Petition.
- 7. **RELIEFS SOUGHT**: It is, therefore, most humbly prayed by the petitioner that by a suitable writ, order or direction this Hon'ble Court may be pleased to:-
 - To quash the impugned order dated 04/02/2016.
 - b. To allow the present petition with costs.
 - c. Any other relief deemed fit in the facts and circumstances of the case.

Zing-

INTERIM RELIEF:- Looking to the fact and circumstances of 8. the present case, it is most humbly prayed that the operation and effect

of impugned order may kindly be stayed till the pendency of present

petition.

9. Alternative Remedy exhausted:- Petitioner declares that it has

no alternative remedy except to file this writ petition. It is most humbly

submitted that Rule 23 of M.P. Civil Service (Classification, Control &

Appeal) Rules, 1966, provides for Appeal against the impugned order

but in case in hand, the petitioner has been suspended under oral

instruction of the Chief Minister of Madhya Pradesh who is heading the

State and the petitioner has not left with any hope from the appellate

authorities to interfere in the matter hence the petitioner has not been left

with any option but to approach before this Hon'ble Court by way of

present petition.

Matters not pending: Petitioner further declares that no

proceeding in regard to subject matter of this petition is pending before

any other court or tribunal.

11. List of Documents:-As per INDEX.

CAVEAT: That, no notice of lodging a Caveat by the opposite

party is received.

Indore

Dated: 05/02/2016 ...

Submitted by

Counsel of Petitioner

√o∕ Abhinav P. Dhanodkar





IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No.

/2016

PETITIONER

Dr. Sharad Pandit

<u>Versus</u>

RESPONDENTS

1.

State of M.P. & Others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF WRIT PETITION

That,

My name

: Dr. Sharad Pandit

Father's name

: Late Shri Yashwant Rao Pandit

Age

: 65 years

Occupation

: Service

Address

: 316 A.D., Scheme No. 74, Vijay

Nagar, Indore – (M.P.)

2. That, I am the Petitioner in the present petition. I am well conversant with the facts-of the case. I, therefore, state on oath that the contents of accompanying petition are true to my knowledge. Nothing stated therein is false and nothing is concealed there from.

Indore,

DEPONENT POMERY

5 FEB 2016

VERIFICATION

I, the deponent above named, hereby verify that the contents of para 1 & 2 of the above affidavit are true to my knowledge. Nothing stated therein is false and nothing is concealed there from.

Signed and verified today at Indore.

.. .

Date:

.02.2016

5 FFA 20

DEP

PAJESH KUMAR VYAS
Oaths Commissioner
For High Court Bench, INDORE (M.P.)
State Bar Cotincil of MP Re.No. 1435/88

 ~ 1

Identified by me



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No.

<u>/2016</u>

<u>PETITIONER</u>

Dr. Sharad Pandit

<u>Versus</u>

RESPONDENTS

State of M.P. & Others .

LIST OF DOCUMENTS

S. No	Description of Documents	Date	Annexure
			No. (if any
1,	Copy of the order dated 04/02/2016 passed by the Respondent No. 1.		
2.	Copy of news item dated 04/02/2016.		··· P/2 —
3.	Copy of order dated 29/09/2014 issued by Social Justice and Disability Welfare Department		P/3
4.	Copy of order dated 05/11/2014.	<u> </u>	1º/4
5.	Copy of order dated 05./03/2015 mentioning the name of sanctioned hospitals for the purpose of scheme.		P/5
.6,	Copy of demand letter issued by Sri Aurobindo Medical College & PG Institute, Indore.	<u> </u>	-+··· <u>P</u> /6
7.	Copy of letter dated 07/03/2015.		P/7
8.	Copy of letter dated 29/09/2015		P/8
9.	Copy of letter dated 04/12/2015		P/9
10.	Copy of letter dated 29/01/2016 along with the list of pending beneficiaries.		P/10
11.	Copy of list of pending beneficiaries.		P/11
12.	Copy of news item dated 04/02/2016 published in "Nai Dunia"		P/12

Indore

Date: 05/02/2016

Counsel for Petitioner
Abhinav P Dhanodkar

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, मोपाल

ANNEXORE -

🗕:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 👍 /02/2016

क्रमांक 🔑 70 /471 / 2016 / संबंह / मेडि-1 ः डॉ. शरद पंडित, प्रभारी संयुक्त संघालक, स्थारथ्य सेवायें, इंदौर संमाग, इंदौर को मुख्यमंत्री बाल अवण योजना में इलाज के लिए शशि देने में की मई दे**री, शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा आर्थिक अ**नियमितता किये जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रमाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ. शरद पडित का मुख्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल-रहेगा। निलयन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह मत्ते की पात्रता रहेगी।

डॉ. आर.सी. पनिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार को अपने कार्य के साथ-साथ संगागीय संयुक्त संचालक, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार साँपा जाता है।

> मध्य प्रदेश के राज्यायास के नाम स तथा अदेश(भुसार

> > (ভাঁ. দেশী এইদৰ আনি) अवर सचिव

भध्य प्रदेश शन्सन

लोक स्वास्थ्य एवं पारेशार अल्युप्प विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

भोगाल, दिनांक 🖣 / 02 / 2016

पू. क्रमांक*्री | / 471 / 2016 |* सन्नह / भेडि-1 प्रतिलिपि:-

निज सचिव, मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं पश्चितर कल्याण विभाग. मध्यप्रदेश की और मान मंत्रीजी को अवगत कराने वायत्।

निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांग विभाग, स.९।

महालेखाकार, मध्यप्रदेशं ग्वालियर,

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश, भोपाल,

अपर संघालक (प्रशासन) संघालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल Э.

संभागीय संयुक्त संग्रालके; स्वास्थ्य सेवायें, इंदीर एवं भोपाल, 4.

जिला कोबालय, अधिकारी, इंदौर एवं भोपाल,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिबिल सर्जन सह अस्पताल अधीकक, इंदीर, भोपाल, एवं धार,

डॉ. शरद पंडित, प्रभारी संयुक्त संयालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, इंदौर संभाग, इंदौर 6.


डॉ. आर.सी. पनिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार,

10. स्टाफ फाईल,

और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर शस्त्रिव

मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कृत्याण विभाग,



and the property of the second
तेंसेक्स व्यक्ता 27437.94 🔝 27735.02 तोना 27260 F) 27170 यह 35075 **27** 347**\$ डॉट्स** विकला 63.88 Jh वृते 68,84 [] 67.9

मुरुवार, ४ फरवरी, २०१६, मारा कृष्ण एक्ष-११, २०७२

ठी ऊंचाई पर प्लेन में आतंकी यलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग



भारकर एक्सपर्ट

रैयर् मामला, पायलट्ट की काबिलियत का नतीजा

वै पायलट की मुझबूझ से संभव हैं। सिकिन इसे प्रमत्कार नहीं कहेंगे। जिस विभान के वाध हो झक्सा हुआ वो उवस्थत है. इनकी श्रव्सेत्युट सीतिंग 40 हजार कीट होती है: यानी विमान इतनी ऊंचाई तक अपने हैं। इनके पायलह ऐसी परिस्थितियों के लिए हुँड रहते हैं। कई बार 20-25 हजार फीट की ऊंचार पर इजन में खराबी, यिंड से जुड़ी पॉबलम्स अभी रहती हैं। ये पायलट इन्हें मैनेज करने में सकत होते हैं। ऐसे में 14 हजार फीट पर प्रोत में बड़ा सा छेड़ होते के बावजूद दुर्शकाः। लैंडिंग करांना काबिलियत का ही जलें अहें एचरपोर्ट पास शा और टेकऑफ के दुरत बाद ये हादस्य हुआ इसलिए सुरक्षित लीडिया हो जाई। ये बात भी सही है कि इस तरह धमक के बाद वुद्धात मेडिन की बात कसी कुछ नहीं है। कैस्टन अरुणेन्द्र धारेल एविएनन एक्सप्टन

यस्त्री कः इल्बन्धः की काइल होताई जेडी डॉ. शरद पंडित को सीएम ने निलंबित किया

भारकर संवादकाता हेको/हडिका

युख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में आधिक सहायता देने पें देरी और लापस्वाही बरसने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग



के संयुक्त संवासक की के संयुक्त संवासक का रास्त्र पंडित को निस्त्रित कर दिया। बुधकर की समाधान ऑन्साइन में शिकायती की समीका के तीमन सीएम को खंड्डा की बच्ची से जुड़े एक प्रकरण में डॉ. पंडित की लामजाही नजर आई। उन्होंने प्रमुख सन्दिष्टं गीरी सिंह से सताह ली। उन्होंने भी इसे लायरकारी बताया तो

सीएम ने तुरंत ही जेडी को निलीमत करने के निर्देश प्रमुख सचित्र को दिए। साथ ही इस बच्ची को 15 लाख रूपए की

<u>मंगेत्र ने लुधियाना थाने में दर्ज कराई शिकायत</u>

होँकी कप्तान सरदार पर यौन **शोषण** और गर्भपात के आरोप

ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है लड़की

भारकर महत्र | सुधिस्त्रम

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भारतान सम्बद्ध दान क कन्यान सुरद्धार सिंह पर दनकी मंगेतर ने वरपाँचम्, ज**ब**रन गर्भपात और धेखाधड़ी आरोप लग्ग्र के

Ť. पुलिस आरोप लगाने महिरना बिटेन की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है।

21 सम्रल की इस महिला

फेसबुक पर दोस्ती, ट्विटर पर संगाई, थाने में ब्रेकअप

मोरय मारठाठ | चडीगढ

सरदार सिंह और बिटिश लेकी खिलाड़ी एके की प्रेम कहानी करीब चार साल पुरानी है। 2012 के शुरू में

फे**सबु**क भुलाकात पर हुई थी। दोनों जल्द ही दोस्त भी यए। लंदन ओलिंपिक के टौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। तब



मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण वल्लभ भवन मंत्रालय / /आदेशं / /

ंमध्यप्रदेश शासन, सामाजिक

16

/2014/26-2.

क्रमांक / 12 | 2_ न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक / 1079 / 997 / 2014 / 26-2, दिगांक 21-08-2014 द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का हस्तान्तरण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल श्रद्धेण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थायी वित्त समिति की आयोजित बैठक दिनांक 24—03—2014 में योजना क अनुमोदन प्रदान किया गया है एवै इस आधार पर अनुपूरक बजट में आवश्यक बजट प्रावधान प्राप्त होना संभावित है। मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रश्ताव दिनांक 26--09-2014 अनुसार मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का विद्यमन स्वरूप में क्रियान्वयन जारी रखना उचित प्रतीत होता है । अतः स्वास्थ्य विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध होने पर्यन्त तक 31 दिसम्बर 2014 तक निराश्रित निधि से योजना के तहत सहायता राशि पूर्वानुसार उपलब्ध करायी जाये

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय के प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है कि राज्य निराश्रित निधि में संग्रहित ब्याज की राशि से ₹ 2,00,00,000 / — (रूपये दो करोड़ मात्र) अग्रिम स्वरूप आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय को निम्न शर्तो के अधीन उपलब्ध करायी जाती है :--

उक्त राशि अग्रिम स्वरूप प्रदान की जा रही है, अतः स्वारथ्य संचालनालय के अनुपूरक बजट में या प्रस्ताद अनुसार अन्य योजना में स्पूर्वत रोवालक सामाजिक न्याय,म.प्र. को इन्दौर संभाग, इन्दौर तत्काल लौटाई जावेगी।

- 2— उपर्युक्त राशि का उपयोग मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के प्रयोजन हेतु किया जायेगा। अन्य किसी मद में राशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- 3- योजनान्तर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों का उपचार, शल्यक्रिया चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत मेडिकल कॉलेज यथा— अरविन्दों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर एवं चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल में प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।
- 4— श्रवणबाधित हितग्राहियों के आपरेश पश्चात् वर्बलथैरेपी एवं फालोअप की व्यवस्था भी संबंधित मेडिकल कॉलेज की होगी, तदनुसार व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- 6— योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,म.प्र. की समयावधि में प्रेषित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार

> (भारती दशपुत्रे) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक / (२) <u>/ 2014 / 26</u>—2. प्रतिलिपि:— सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण भोपाल,दिनांक 之 🤊 🤊 之 🥫 👃

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रींजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कत्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता की ओर सूचनार्थ।
- 2- ् स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3— अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।



5-	ं प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोषाल
6	प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोकं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
	मंत्रालय भोपाल
7-	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, 1250 तुलसी नगर,
	भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8—	आयुक्त, राजस्व संभाग भूोपाल एवं इन्दौर।
_3 –	कलेक्टर जिला भोपाक एवं इन्दौर की ओर सूधनार्ध एवं आवश्यक
	्कार्यग्रही हेत् ।

्रास्य (_____ अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय,भोपाल संचालनालय स्वास्थ्य रोदायें मध्यप्रदेश सतपुड़ा भारत भोषारा

MEXDLE

क्रमांक / रहवी,स.नि. / 2014 /

ભોવાના વિનાંઇ

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याः (८०८) मंत्रालय के आदेश दिनाक 29/9/2014 के अनुक्रम में भुख्यमंत्री लंडा है। उन् योजना का विद्यमान स्वरूप में 31 विराम्बर 2014 तक क्रियान्वयन करने वन निर्णय लिथा गया है। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं निरक्षमत्त्राचन करमान विकास द्वारा रूपये 2.00 करोड़ की सांशि आयुवल स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश को अंतिम की कुप में अपलब्ध करायों जा रही हैं। सिश का विसरण रूप योजना उठ अवकृत निभ्यानुसार किया जावं :--

- रूपयं 2.00 करोड़ की राशि प्राप्त हों। पर एउथ स्थारथ्य स्थिति । ২০০০ ।। जमा की आये।
- 2. राज्य स्वारथ्य समिति द्वारा संभागीय संयुक्त संवातक, स्वारथ्य सेवारा भणाल की 50.00 लाख, इन्होर को ६००० लाख, म्यांशियर को 25.00 सन्छ। जनगणुर को 25,00 लाख, रीक्ष का 25,60 लाख रगे साथर को 25,00 लाख रामक की र्ह्माश्च ई-वेकिम हाश द्वारसफर का जावे।
- 📝 3. मुख्यमंत्री चास अवण क्षेणना अस्तर्गत इन्द्रीर एवं तस्तीन सभाग 🙃 🕬 🗥 का निराकरण आयुक्<u>द इन्ट</u>ौर, भोषाल एवं अमेदापुरम संभाग क अकरण्ड क िराकरण आयुक्त भौपाल, स्वादि।यर एवं वश्वल संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त स्थालियर, रीवा एवं शहडोल संभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त रीक्ष एवं सींगर अभाग के प्रकरणों का निराकरण आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
 - प्रकरिणों पर स्वीकृति आदेश संभागीय मुख्याक्षय पर पदस्य संगुपत संवन्तक. **ोक रवास्थ्य एवं पेरिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जा**ंगा। आहेश को प्रति संभागीय संयुक्त संचातक/उप संचालक, सामधीक स्थाय एउ हितग्राही, को भी एष्टांकित की जावें।
 - 5. स्वीकृति आदेश के आधार पर संभाग के संभागीय संयुक्त संधालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा रेवीकृत को गई राशि ई--बेकिंग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग से भान्यता प्राप्त अस्पताल को कॉक्लीयर इम्पालंट आपरेशन हेतु भेजेंगे एवं राशि भंजने की सूचना हितग्राही को भी दी जग्वे ।
 - विकित्सा शिक्षा विभाग से भान्यता प्राप्त अस्थलाल जिल्हें हिलग्राही के कॉक्लीयर इन्यालंट आपरेशन हेतु शिश भेजी गई है, आपरेशन उपरान्त व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबुद्धिता संसार। के संधारीय संयुक्त

संचालक स्वास्थ्य सेवायं को भेजेंगे।

- संमागीय संयुक्त संचालक स्वारध्य सेवाये उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 जनवरी २०१५ तक अनिवार्श रूप से संकलित कर संचालक (वित्त), राज्य त्यास्थ्य गिशन, बैंक ऑफ इंडिया, जेल रोड अरेश हिल्स भीपाल म.प्र. को भेजेंगे। संचालक (बित्त), राज्य स्वास्थ्य मिश्चन. उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर सामाजिक न्याय विभाग को प्रेपित करेंगे।
- राज्य स्वास्थ्य समिति / संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोषाल आवश्यकता होने पर राशि को एक संभाग से दूसरे संभाग में हस्तांतरित कर सकेंगे। यह व्यवस्था 31 दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगी। तत्पश्चात मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के क्रियान्ययन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे ।

(स्व स्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।)

(डॉ. के.एल. साह्) सचालक स्वास्थ्य सेवाएं. वश्यप्रदेश भीषात्व विकास / / 10 / 2014

पृ. क्र. / स.बी.सा.नि.२०१४ / ५/७ (प्रतिलिपिः – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

अधर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रयश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रासय।

प्रमुख सचिव,म्प्र., शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,गंत्रालय ।

आयुक्त मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग, मन्नालय ।

 समरत आयुक्त, (राजस्य) भध्यप्रदेश। 6. भिशन संचालक, एन.एच.एम.. बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अर्ए। (हे.सा भोपाल।

समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।

रांचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश ।

संचालक (वित्त) राज्य स्वास्थ्य, बैंक ऑफ इंडिया जेत रोड अरेस हिल्स भोपाल।

समस्त अधिष्ठाता, शासकीय दिकित्सा महाविधालय मध्यप्रदेश।

11. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।

12. समस्त समागीय संयुक्त संयालक स्वारथ्य सेवार्थं नधाइदेश।

13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय ग्रप्त, ।

14. शाखा प्रभारी एम,आई.एस.,स्थानीय कार्यालय। वेबसाईट पर अपलोड करें।

कार्पालर संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवारो इंप्यीर संभाग इन्दौर(ग.प्र) नस्ती क्रमाक विभाग / /

विषय:- नुख्य मंत्री भाता श्रवण उपचार योजना के संबंध में।

- (1) में अनुसार थोजना का हस्तोत्। स्वाहय वित्राम के किया जा स्कुका ही वतंत्रात में भूवे में विक्रों गमें क्षिरवर्गकर के तहत 156 क्ष्मर का भुगतान जिन्दात है वे आपंक पास 50 किया अपक्टरा हैं ज़ित: इन 50 किया का भुगतान कर बोस गिय के किये आवंटन बांगे।
 - (3) जिस हिन्द्रमाहियों के किस्प्रिया है। पुके हैं अकी क्राब्युस्थ्य भी किस्प्रिया के समक्षा के समक्षा के समक्षा के समक्षा के किस क्ष्मिक परीदान को जिससे अके कार्र claim अनुसार बच्ची में अमित हैं इसकी सिनिवयता है। सरेठा
- (3) You can do the forations of I bending case that have been found fit & they are of harme or Oppoint donnion.
- of whether they are fit cases or not should be explained to parents as well as to the presented to committee (technical).

1

कार्यालय संभागीय संयुक्त संघालक, स्वास्थ्य शेवार्थे इन्दीर संभाग इन्दीर(भ.प्र.) नरतीक्रमक : १००० वर्षा वर्षालयालयालया

दिषय:- मुख्य भन्नी बाल श्रवण उपचार योजना के संदर्भ में

- (त) में अदुसार थेप्पना का हह्योतिहा स्वाह्य्य विभाग को किया जा चुका है वितेषान ने भवि में किये गमें कृष्याक्र के तहत 1.56 come का भुगतान कि के में भागेक पात 50 किया अंगलहा है बात: इन 50 किया का भुगतान कर बोध राधि के किये आवंटन बांधा
 - (2) विन हिन्द्रमाहियों के कृत्यवर्षाक्षय है। चुके हैं अकी क्षिक्षराक्ष्य भी किलार की किलार के समझ रखवायें व समझ में किलार कि परीक्षावा करें पिससे अकी कारा टोक्स्का अनुसार बच्ची में अमेरि हैं इसकी सुनिश्चित्रतां है। सके
- 3 You can do the operations of I pending cases that have been found fet of there are of Indone or Openin direction.
- of whether thing are fit cases or not should be explained to parents as well as to the presented to committee (technical).

4

कार्यालाः जंभागीय संयुक्त संवालक, स्वारथ्य सेवायें, इन्दौर रांभाग,इन्दौर(१५५) शास्त्रा कर वागः- पृथ्य मधा सारू श्रवण योजनः नरात्र क्रिया ह . 2.

विमाल <u>५.72/ 2</u>014

विधाः.— मुख्य मंत्री ग्रांत अवभ उपवार गांजना के संबंध में (

नोट- शीट पृष्ठ कमांक-1-पर आयुक्त भहोदय इंदौर संभाग इंदौर हाला अकिस टीप को वरिप्रध्य मे भुष्य भंजी बाज श्रवण उपवार वाजना। के अन्तर्गत् प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है

योजना के तहत् अभी तक कुल 46 रच्चों की सज़ेरी हो चुकी है। िस्पर्ध से 25 वध्यो जी सर्जरी को प्रथम किल्व की <mark>राशि</mark> रहा 16575000%— (एक कराड पेसट हास्य पिरवहतर उटार १ उटा भुनदान किया जा बुका है। इन सभी 25 बच्चों की दितीय किश्त की राप्ति 60 17250000 राख प्रकार हजार गात्र) का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार 21 प्रकाण जिलकी खजरी हा तुर्वत ह तथा उनकी प्रथम किरत की राशि का भुगतान राशि रू० 13923000 / । (एक करीट उनचालीन आरत वैदीस, हजार) का भुगवान किया जाना शेष्] है। इस प्रकार कुल शक्षि का 15648000 / -- एक शर्य / अपन लाख अडतालीस हजार) का भुगतान किया जाना उचित होगा। स्वास्थ्य स्थाननावय स अजन्ह कें तहन ५०,0000♦ −(पचास साख) का आबंदन उपलक्षा है ।

योजना थ तहत् पूर्व में चयनित ७ यच्यां का आग्रपरेशन किया काना शंध है। श्वान प्रशासक 48 में रहे 13 बच्चों उन के आधार पर असीरक पाए गए एवं 4 बच्चों इंदीर एक सक्कीन नमारण १८ अटर एक राति **से समिवित वि**तास तो सम<mark>ण कारवाही हतु अच्छा कियं जाकर</mark> पाले एमिसिवित हो। किछा तर । २करणा की <mark>स्कानिम का कार्य असम ४, किलका प्राद्धमा के आधार एन अवश्यान कारणा</mark> १००० ० अवसीकमाः आदेशकः -

यमारी अधिकारी **डॉ.श्रीमती सी के** ठाकुर चन संचालक इन्द्रीर संभवन इन्द्रीर

प्रभारी मानिटरिंग अधिकारी डॉ.श्रीमती आशा पंडित एम.एस.(ई एन.टी)ई).एच.ओ. इन्टॉर

जक्त्रिकी संधर्य गुणः—

ऑ.आर.के गृहडा विभागध्यक्ष 💰 एन. टी एम.ची एम.भे डिकल काले ज ्रिम व्हाय एवं इन्दर्गर

ार**ी#** अधिकार्⊁ि डॉ.बी.एसे.बॉहान (ग.एस.(ई.एन टी)


टिक्कर्सर श्रीनती नीशा पीटर जानो आडियोलॉ जिस्ट (ई.५२.८१) विभाग रक्ष. ५७ स एवं इन्द्रौर

सिन्धः भारतसम्बद्धाः अ(डियोल)जिस्ट (ई.एक.टी) विकार था अर्बियों मेडिक्स कार्यक

[8(12)]4

Covod V beugl संभागीय संयुक्त संधालक स्वारथ्य सेवाएँ इन्दौर संगाम इन्दौर (न.प्र)

.. H2/19



राज्य शासन तकनीकी समिति की अनुशंसा के आधार पर, एतद् द्वारा मुख्यमंत्री पाल श्रवण योजना अन्तर्गत कॉक्तियर इष्टलान्ट हेतु पैकेज राशि रूपये 6.50 लाख (रूपये छ लाख पदास हजार भाव) पुनशिक्षत करता है।

- पुनरीकित पैकेज दिनांक 01.02.2015 अथवा उसके पश्चात् ऑपरंट कियं गर्थ / 🕬 🕸 सभी प्रकरणों पर लागू होगा।
- मुख्यमंत्री ढाल श्रदण योजना अन्तर्गत निम्न चिकित्सालगों को शासन द्वारा भागाया है। गई है-
- ्. ः अस्विदी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदौर ।
 - धिरायु मेडिकल कॉलेल, भीपाल।
 - एल,एन, मेडिकल कॉलेंच एवं औ.के. हॉस्पिटल, भोपाल।
 - दिव्य एडवांस ई.एन.टी. वलीनिक, भोषाल।
 - 5 अखिल भारतीय आर्युविकान संस्थान (एम्स), नई विल्ली: ।
 - भी.डी. हिन्दुजा नेशनल हों।स्पटल, मुम्बई ।
 - लीलावती हॉड़ियटल, मुम्बई। अः
 - देश में स्थित अन्य प्रतिस्थित विकित्सालय जिन्हें केंद्र शास्त्र हारा र १० (१) मा भोजना के अन्तर्गत कॉक्लियर इथलाय्ट हेतु मान्यता ही गई है।
- संभागीय समिति की स्थीकृति उपरांत जिला स्तर पर निर्धारित पैकील एपु अपने ७०० लाख (रूपये पूर्वच लाख कीस एकार भाज) की साथि संस्ट्रीय वाल स्थानका कार्यकान हात है है है एरा.के.) के अन्तर्गत आर्थिटेल स्थित से स्थीकृत की आर्थ एवं रोध शांशि की व्यवस्था राज्य एउ से की आतंत्रमा हैतु राज्यांश के लिए राज्य ठजट में आतंत्रमान प्रतासाम घटना न उन्ह

13.3.15 DyD. Dr. Patrice J. 11F. Qu.

प्रकरण विशेष में पैकेज सीमा से अधिक सारी की आवश्यकता होने पर सर्ववित हित्रवाही को स्वयं ऐसे अतिरिक्त व्यय का वहन करना होगा ।

योजना क्रियान्ययन की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी ।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पुक एक एक 10 · 10/2015/179.2

भौपाल,दिनांक 5 📝 3 🗸 2015

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- अपर मुख्य अचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक भाग विकास, मंत्रालयः
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, नजालकः।
- 3 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वात्स्थ्य एवं परिवार कारवाण विवास मानवान ।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, नंत्रालय .
- रवारथ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य रोवाय मध्यप्रदेश।
- समस्त, आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश।
- भिश्चन संचालक, एन.एच.एम. बँक ऑफ इंडिया जेल राष्ट्र अरेश कि. ।
 समस्त, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य शेवाते;
- संघालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवल भोपाल, मध्यप्रदेशे !
- 10. संचालक, (वित्त) राज्य स्वारथ्य, शैंक ऑफ इंडिया जेल रोड अरेश कि. र में महार
- समस्त, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, गध्यप्रदेश।
- 12. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- 13. समस्त, समागीय संयुक्त संचालक स्थास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश।
- 14. समस्त, संभागीय सयुक्त संचालक / सथ संचालक, सामाजिक न्याय महत्यावर ।
- 15. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 16. समस्त, सिविल सर्जन राष्ट्र अधिसक मध्यप्रदेश।
- 17. शाखा प्रभारी एम आई.एस. स्थानिय कार्यालय । वेबसाईट पर अपला ३ ०८८.

्रीकी होता। अवर संचिव मध्यप्रदेश शासान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute

SAIMS HOSPITAL

ANNEXDRE-P/6

क्रमांक / सेम्स / 2016 / 76

दिनाक : 28:01.2018 :

26)

प्रति,

स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय: मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट हेतु किये गये भुगतान की शेष राशी रू. 47.77,800 / -- का भुगतान श्री अरविंदो इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुाइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :

संस्था का पत्र कमांक / सेम्स / 2015 / 949 दिनांक 23.11.2015.

संस्था का पत्र कमांक / सेम्स / 2015 / 958 दिनांक 01.12.2015.

महोदय,

कृपया, विषयान्तर्गत संस्था के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.11.2015 एवं 01.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कीजियें। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि संस्था में उक्त योजना के अन्तर्गत कॉकिलयर इम्प्लान्ट के किये गये ऑपरेशनों की शेष राशी रू. 1.15,77,800/— (एक करोड़ पन्द्रह लाख सतत्तर हजार आठ सौ रूपयें) में से राशी रू. 68,00,000/— (अड़सठ लाख रूपयें) सी.एम.एच.ओ., इंदौर से संस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसके लिये संस्था आपको आभार व्यक्त करती है, और अब रू. 47,77,800/— (सैतालिस लाख सतत्तर हज़ार आठ सौ रूपयें) प्राप्त होना शेष हैं। निवेदन है कि शेष राशी रू. 47,77,800/— (सैतालिस लाख सतत्तर हज़ार आठ सौ रूपयें) का शीध भुगतान करवाने की कृपा करें। साथ ही वर्तमान में प्राप्त हुई राशी रू. 68,00,000/— (अड़सठ लाख रूपयें) की प्राप्ति दर्शांकर वर्तमान स्थिति से संबंधित स्टेटनेंट इस पत्र के साथ पृष्ठ कमांक 22 से 23 तक संलग्न प्रेषित है।

Prul color

सादर, सधन्यवाद्।

PROF. Dr. COLLAND SOFTAGE MEDICAL SUPERINTENSIES

संलग्न संदर्भ हेतु संस्था के पत्र दिनांक 23.11.2015 एवं 01.12.20 कि अप्राणिक के सलग्न संलग्न संदर्भ हेतु संस्था के पत्र दिनांक 23.11.2015 एवं 01.12.20 कि MC की खाड़ी के साथ पृष्ठ कें. 22 एवं पृष्ठ कें. 23.

पृष्ठांकन कमांक/सेम्स/2016/77-79

दिनांक : 28.01.2016

प्रतिलिपि :

आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, की ओर सूचनार्थ।

2. संवालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेश हिल्स, पुरानी जेल, भोपाल।

संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंदौर संभाग, इंदौर।

संलग्न –उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ 23)

PROF. Dr. (COL) M. KAPADIA

Indore-Ujjain State Highway, Near MR-40 Crossing, Sanwer Road, INDORE (M.க.)அத்தோள்களை Ph.: 0731-4231000 (Extr. 405), Pax : 0751-4231010-12, Email : response@saimsonline coலி **WebosPrive** தவற்கு அறிந்த



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute

SAIMS HOSPITAL

कमाक / सेम्स / 2015 / 958

दिनांक : 01.12.2015

प्रति,

स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, संघालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट का मुगतान श्री अरबिंदों इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : संस्था का पत्र कमांक / सेम्स / 2015 / 949 दिनांक 23.11.2015. महोदय

कृपया विषयान्तर्गत संस्था के उन्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कीजियें। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि लिपिकिय भूल से उन्न पत्र में संदर्भित बिंदु कमांक 2 में अभिव्यक्ति गलत हो गयी है. उन्न संदर्भित बिंदु कमांक 2 में जिसका वर्णन है वह आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मप्र. ने श्रीमान् को नहीं अपितु संगागीय आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, इंदौर को लिखा था, जिसकी ग्रांत परिशिष्ट-1 पर संलग्न की गयी है।

संस्था में कॉकलियर इम्सान्ट के किये गये ऑपरेशनों के संदर्भ में सलग्न विवरण पृष्ट कमांक 1 व 2 में पृथक-पृथक मरीजवार परिशिष्ट-2 में वर्णित किया गया है. जिसमें यह स्पष्ट है कि संस्था को प्राप्त होने वाली कुल राशि स. 3,66,52,800 / - (तीन करोड़ छियासट लाख बावन हजार आट सौ रूपये) में से राशि रू. 2,50,75,000 / - (दो करोड़ पचास लाख पचत्तर हजार रूपये) प्राप्त हो चुके हैं. और इस प्रकार 3,66,52,800 (कुल राशि) - 2,50,75,000 (प्राप्त राशि) = रू. 1,15,77,800 / - (एक करोड़ पन्द्रह लाख सतत्तर हजार आट सौ रूपये) प्राप्त होना शेष हैं।

अतएव आपसे यह विवरण भेजते हुए निवेदन हैं कि उक्त राशि संस्था को भुगतान कराने हेतु कार्यवाही शीध करने का कष्ट करें।

सादर, स्धन्यवाद्।

ਅਕਵੀਹਨ

्रिकित्**शः शक्षाम्**तान्त्रत्तः । विकित्**शः शक्षाम्य**

संलग्न — 1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मग्न, के पत्र की छाया प्रति। 2. संस्था में कॉकलियर इम्प्लान्ट के किये गये ऑपरेशनों की शशि का विवरण। (कुल पृष्ठों की संख्या — 3)-

- Audin

Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Crossing, Sanwer Road, INDORE (M.P.) 453555.

Thi: 0731-4231000 (Extn. 405), Fax: 0731-4231010-12, Email: response@saimsonline.com, Web., www.saimsonline.com.

सामाधिक न्याय एवं निश्रासस्यन करवाण संचालनाराय, मध्यप्रदेश विश्वातः सुरुवाभिषाए अधिक-402003)

/निक्किकी/पुर्मवात्रात्री/2016/पिक्रि

भोपाल दिर्ताक 2.9. 🙌

संभाभीय अप्रयुक्त, इन्दीर अभाग इन्दीर ।

मुख्य मंत्री बाल अवण थोजुका के अन्तर्गत हिंत्रग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लाम्ड के प्रश्चात् शेष पश्चि का मुगतान के लेखंध में।

मुख्यमंत्री बाल श्रवण यौजना के अन्तर्गत थिन्छांकित एवं पात्र श्रवणवाधित हिताप्रहियों के कॉक्जियर इन्साएट हेत्र विकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्षेत्रांक / एफ-4 / 100 / 2013 / 2 / पञ्चपन, दिनोंक 14-2-2014 द्वारा अर्रावन्दो प्रेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर में कॉकलियर इम्प्लाटेशन आपरेशन एवं उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- भुख्यमंत्री बाल श्रद्धण योजना के अन्तर्गत 46 चिन्हांकित एवं पात्र श्रदण्याथित हितग्राहियों के कॉकलियर इंग्प्लाण्ट अरविन्दों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर के माध्यम से कराये गये है।

अर्थिन्दो भेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर को ₹ 2,50,75,000 / -का पुरासान किया गया है, शेष रहीं। रें 1,15,77,800/ — का भुगतान होगा शेष है। समन्वयक, अंश्विन्दों मेंडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्यूक्तानुसार अवगविक हितग्राहियों के कॉक़लियर इम्प्लाण्ट दिसम्बर 2014 पूर्व के है। समन्वयक, अरविन्दों मेंडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिगांक 7 सितम्बर 2015 की छाया प्रति संलग्न है।

कृपया प्रेकरण में नियमानुसीर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवंगत कराने का कष्ट करें। उपर्युक्तानुसार संसग्न:—

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

वारते आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.

c.m. bal showan latters

29

						-	<u></u>					
DATORE			and the factories	THE STATE OF THE P.	2400 Company	10,000,0014	KE SOOT	Received	98089	Pendire		
	MOHINE TO SERVE	319398	W/W/4014	1000000	ANALYSIA S	The leading			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	177	100 m	
32	HARSH GENLOD	319380	06/05/2014	100,000,00	09/09/2014	10/06/2014	2000	Mecanied				
7	SHALVEN WIN	1	ł×	0742672014	*(02/99/60	10/09/2014	963000	Mecehaed	Ť.	4		į
3 2	estimate turban	L	ą.	TO AND COME	1076060	10,06,2614	, 000899	Received		The second		
ا دا	MANAGES TAN	Table 1		400/2014	102/60/60	10/08/2014	0000099	Rectived			201	
¥	socia Critica		ł	4754842004		10/09/2014	145000	Part Payment				
3	Part second of the Addition			2 42 A	patient Arts Gupta, amount penders of Rt.	ending of Rt.		- A		-		The second second
-	PARSAUS CARRYA	168676	107/100		09/09/2014 10/09/2014	10,09,2014						
*	KRISKIIK PATEL	219401	06/09/2014	07/08/2014	>102/60/01, b362/60/60	107/60/01		1	S.			
	MANAN	_	1402/2020	07/08/2014	09/09/2014	10/09/2014		地理是	3 3 3 3			
	CHANCHAL MEHRA	319407	8	07/09/2014	99/09/2014	107/09/2014	00000		00082	Ž	0000	
	NICTA FRANSCOPA	819419	3	07/09/2014	-	10/09/2014	668000	Periodical	000	Person.	60 mg	* 200
BATCH G]								ļ	
12	PAIR CHAIRM	1000.02	10/10/2014	12/16/2014	13/10/2014	14/10/2014	669600	Penden	69000	Panding	068	
}	MERCH.	23,563	() \$	17/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	000099	Pending	00069	Preoding	200	Parofice
	Octobri Carrieta	2	1	13/10/2014	13/10/2014	14/19/2014	663900	Pending	00069	Pending	64800	Pendeng
	A DULAND MANU	7,560	15		-	14/10/2014	963500	Pendeng	00060	Pending	64800	Pending
2 3	urchallached	L L	٠]٦		_	14/10/2014	663060	Pending	90009	Pending	64800	Pending
	· ·				į	Pending Amounts	7148000		1449000		1980800	-
ment of 64 5.1	1st Jackaliment of 61 S.N. 36 to 46 pending of Rr. 7140000	7148000] ,	•							
Iment of of S.	staffment of of S.N. 26 to 46 panding of Rs. 1443000/-	1449000						ļ				
ment of of 5.	and including of of S.N. 1 to 46 pending of Rs. 304(5600)	30456007										
Payment Receiving details	Sie.				Tet	Total Bill Amount	36622330					
15/04/2014 13 26 000/		_			Total Rece	Total Received Amount	25075000					
5,05/2014 19,89,000/	-	_			Total Per	Total Pending Amount	11577800					
04/07/2015 1,32,60,000/ 09/01/2015 50,00,000/- 09/01/2015 25 00 000/-	-(0											
and and and and		_										

हों. शेलिस्टर्स इतं. शेलिस लिक्स कान-नवा-मन्तिकाम मन्त्रसंडिक्क कांक्स एण्ड कि. भी. इन्सरीयूट



Sri Aurobindo Medical College & PG Institute SAIMS HOSPITAL

कमांक / सेम्स / 2015 / अपूर्

दिनांक : 23.11.2015

प्रति, स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, संवालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल (म.प्र.)

विषय : मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट का मुगतान श्री अरबिंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : 1. संस्था का पत्र कमांक/सेम्स/2015/920 दिनांक 07.11.2015.

- 2. आयुक्त, शामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण. म.प्र., भोपाल का आपको संबोधित पत्र कमांक/नि.क./9/मु.मं.बा.श्र.यो./2015/1456 दिनांक 29.09.2015.
- 3. उक्त पत्र के साथ संलग्न संस्था के समन्वयक का पत्र दिनांक 07.09.2015.
 - संस्था का पत्र क्रमांक सेम्स/आउट डी.बी./कं 593 दिनांक 03.07.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में संस्था द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग से किये गये कॉकिलियर इम्प्लान्ट के भुगतान कें संबंध में सम्पूर्ण पत्राचार की प्रतिलिपियां श्रीमान् के अवलोकनार्थ एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं। इसमें भुगतान के विवरण एवं जो भुगतान लेना शेष है से संबंधित दस्तावेजों को ध्वजािकत किया गया है। अत कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर संस्था के रोके गये भुगतान को जारी करवाने का कष्ट करे।

सादर, सधन्यवाद्।

संलंग्न — उपरोक्तानुसारं (कुल पृष्ठ संख्या 16) ध्वजांकित पृष्ठों की संख्या (०९ सं ॥) भवदाय

चिकित्सा अधीक्षक

respiral by sibyers on SAMO A POLISS OLIS AME HOPPITAL LOGIS OLI

		-	M INSTALLMENT	19 INSTALLMENT, Payment Status	After 6 months of Surgery	Payment Status	After 2 years of Surgery	Payment States
	ź	0500	-j0000j-		/00069		64800/-	
9	3					- Paris and B	COMPANY CO	
	42/01/2014	12/03/2014	663000	Received	00069	WEL BIVE		t
-	12/02/2014	12/03/2014	66,9000	Received	00069	HET GAVES		
14 09/09/2014	**************************************	-				7	64800	Pending
-	ATM COMMA	16/04/2014	963000	Broawed	00069	Makeryon	9007	
	AT MANAGEMENT	10/04/2014	99900	Received		Macena	100	ž
04/04/2014 US/04/2014	07/04/2014	10/04/2014	663000	Received	00069	Hereveo		
trong and the						in in in	64800	Pending
-	AT IN TALK PORTA	30,04,72014	663000	Received	20050		0000	Pending
2// Odd	4-	30/04/2014	000299	Receired		200	SAMO	Perping
	+	30,05,2014	000699	Received	9006	Hardwar	20879	Pending
_	+-	30,004/2014	663000	Received	90069	Heroney	QUETO	Pandline
	20042014	10,004,2014	963000	Received	67900	Kaceneo	988	Pending
-	7 1017 7017	20,003/2018	663000	Received	69000	Mecaliptic		Panding
-	28,004,2034	20,004,2010	0000599	Received	90069	Received	00000	Pending
_	+	and the month	PACE BROWN	Received	63000	Received	200	Sending
_	Taz in light	an marginal	663000	Received	00069	Received	3000	aupud .
	-	20/04/2022	563000	Aerel wed.	69000	Received	200	
-	+	30,004,004,00	00000	Received	00069	Received		Daniel D
35/04/2014 27/04/2014		30,04,0014	000655	Received	69000	Received	CARRIED .	
26/04/2014 23/04/2014	\rightarrow	20/04/2014	00000	Recrived	90069	Received	64200	Million Land
26/04/2014 27/04/2014	28,00/2014	30/104/4014						
 	- 1	4 100 300	250000	Spreived	0,0069	Received	9880	
\rightarrow	\rightarrow	P10/2/20/21	663000	Hocened	69000	Received	64840	: Lealoung
	\rightarrow	2.007/20/21	(A)	Pr(+wed	69000	Becoved	Dage Co	
-	12/15/2014	13/06/2014	L	Received	69000	Received	0000	- Brodioe
09/05/2014 10/05/2014	-	1000000	Ĺ	Received	04049	Received	00000	gonoog
09/02/2014 > 10/05/2014		Professor C	663000	Hecented	00069	Received	Anama .	- Constitution
	_	<u> </u>	00070	Hereived	60000	Received	64830	
09/05/2014 10/05/2014	13/02/3014	07/50/FC	Signal Control	 -	<u> </u>	_	1	 - -
4] [8	Pending	94800	Pelvding
1 2 MeC/2005	⊢	D2/02/2014 03/07/2014	99300D	Kecelyco	1000	Postrono	64800	Pending
+	╌	C3/D7/2014	0000E99	Received	MINISTER STATE	Sending	66800	Penturg
┿	-	67/07/2614	F63080	Herened	81 32 1	1	64800	Pending
-	-+			Hereived	90069			100
Ť	\rightarrow		<u>.</u>	Ferenda -	68930	Pending	200	-
305,039 37/06/2014 28/05/2014	⊸	- Tarana (107) (107)	<u>.</u>	 				

.





Sri Aurobindo Medical College & PG Institute SAIMS HOSPITAL

इस प्रकार निवेदन करना है कि उक्त वर्णनानुसार संस्था को प्राप्त होने वाली राशि रू. 1,15,77,800 / – का भुगतान श्रीमान् के द्वारा किया जाना है।

दिनांक 01.10.2014 के बाद से किये जाने वाले श्रवणबाधित हितग्राहियों के कॉकलियर इम्प्लान्ट ऑपरेशन के देयकों के भुगतान हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वास्थ्य विभाग, म.प्र. के माध्यम से कराने की कार्यवाही करवायी जा रही है।

अतएवं उक्त वर्णित विवरण के परिपेक्ष में, संस्था को उक्त तथाकथित प्रयोजन के लिये प्राप्त **होने याली राशि रू**. 1,15,77,800/— का भुगतान शीघ्र किये जाने की कृषा करें।

> **उक्त संदर्भित सभी** पत्राचार / प्रपन्नों की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेत् संलग्न प्रेषित है। सादर, सधन्यवाद्।

> > भवदीय


संलग्न – उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ संख्या 14) पृष्ठांकन कमांक/सेम्स/2015/321

दिनांक 09.11.2015

प्रतिलिपि :

- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तुलसीनगर, भोपाल.
- संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र., इंदौर,

संलग्न – उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ संख्या 14)





Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Crossing, Sanwer Road, INDORE (M.P.) 453555 Ph.: 0731–4231000 (Extn. 405), Fax : 0731-4231010-12, Email : response@saimsonline.com, Web : www.saimsonline.com



Ì

Sri Aurobindo Medical College & PG Institu.

SAIMS HOSPITAL

32

कमांक / सेम्स / 2015 / 92 ०

दिनांक : 07.11.2015

प्रति, आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर (म.प्र.)

विषय: मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों के कॉकलियर इस्प्तान्ट का मुगतान श्री अरविंदी इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेस, इंदौर को किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : 1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र., भोपाल का आपको संबोधित पत्र कमांक/नि.क./9/मु.मं.बा.श्र.यो./2015/1456 दिनांक 29.09.2015.

- 2. उक्त पत्र के साथ संलग्न संस्था के समन्वयक का पत्र दिनांक 07.09.2015.
 - संस्था का पत्र कमांक सेम्स/आउट डी.बी./कं 593 दिनांक 03.07.2015.

महोदय.

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा कीजियें।

निवेदन है कि, इस संस्था द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत श्रवणबाधित हितग्राहियों का कॉकलियर इम्प्लान्ट ऑपरेशन व उपचार किया गया था, उनके विरूद्ध उक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित विवरण अनुसार राशि रू. 2,50,75,000/— शासन के पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार आपकी ओर से निर्देशानुसार संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, इंदौर द्वारा इस संस्था को भुगतान हो चुके है, और राशि रू. 1,15,77,800/— संस्था को प्राप्त होना शेष है।

इस_संबंध में श्रीमान् को विशेष रूप से अवगत कराना है कि शासन ने दिनांक 01.10.2014 से उक्त योजना, स्वास्थ्य विभाग, म.प्र. को स्थानान्तरित की है। परन्तु संस्था को उक्त वर्णनानुसार शेष राशि रू. 1,15,77,800 /— उन श्रवणबाधित हितग्राहियों के किये गये कॉकलियर इम्प्लान्ट ऑपरेशनों की है, जिनका ऑपरेशन <u>01.10.2014 के पूर्व किया गया है।</u>

Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Crossing, Sanwer Road, INDORE (M.P.) 453555 Ph.: 0731–4231000 (Extn. 405), Fax : 0731-4231010-12, Email : response@saimsonline.com, Web : www.saimsonline.com

कार्यालय आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

कर्माक ६८१ / सामान्य / 2015 प्रति

इन्दौर, दिनांक *07 | 03 | 2* • /3

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल 3706

ANNEXULE-P/7

विषय :- श्रवण बाधित "Cochlear Implant" आपरशन हेतु आवंटन के संबंध में ।

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत श्रवण बाधित उपचार हेतु Cochiear Implant" आपरेशन करने हेतु योजना बनायी गयी थी। कालांतर में उक्त योजना का हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया था। उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रति आपरेशन समस्त व्यय सम्मिलित करने हेतु लगभग 8 लाख रूपये की राशि निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त योजना के अंतर्गत इन्दौर एवं उज्जैन संभाग को 30 आपरेशन वर्तमान में किये जा चुके हैं, जिसमें से आपरेशन हेतु रू. 1,65,75000/— सिश का व्यय सामाजिक न्याय विभाग एवं रू. 35,15,000/— का व्यय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा चुका है। अद्यतन स्थिति में रूपये 1,03,46,000/—आज भी बकाया है, जिसके फलस्वरूप संबंधित विकित्सालयों द्वारा अन्य आपरेशन नहीं करने की सूचना दी गयी है। एल्लेखनीय है कि जाम मानरिकों इसकी जानकारी प्राप्त होने से लगभग 40 अन्तेतन काल की प्राप्तान हो। स्थित है लंबित है किंतु राशि आवंटन के अभाव में उपचार की कार्यवाही नहीं है। सा सही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री महोदयों के माध्यम से पत्र प्राप्त हो रहे हैं किंतु आवंटन के अभाव में आपरेशन नहीं हो पाने के संबंध में सयुवक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 205—206 दिनांक 9.1.2015 एवं पत्र क्रमांक 16:1 दिनांक 4.3.2015 द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल से राशि आवंटन की मांगदकी है, अतः कृपया की गयी मांग अनुसार राशि प्रदान कराने का कष्ट करें जिससे लंबिंत आपरेशन कराये जा सकें।

(संजय दुबे) आयुक्त. इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

BS - / ******* / 2010 क्मांक प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालें ।

वल्लाम भवन, भोपाल अस्युक्त संवालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

इन्दौर सम्भाग, इन्दौर

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

(1250, नुस्सीनगर, भोपाल-462003) (Telephone-0755-2886815, FAX-0756-2652665) (E-mell address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/नि.स. 🗸 १ / मु.म.बा.श्र.थो. / 2015 / 1456

भोपाल दिनांक 29.09.2015

प्रसि,

संभागीय आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।

विषय:- भुष

भुख्य मंत्री भाल अवाम कोज़ना के अन्तर्गत हितग्राहियों के बॉकलियर इम्प्लाप्ट के प्रश्नात औष राशि का मुनदान के संबंध में।

मुख्यमंत्री बाल श्रहण्य घोजना के अन्तर्गत चिन्हांकित एवं पात्र श्रवणवाधित हितग्राहियों के कॉकिलियर इंग्याण्ट हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-4/100/2013/2/यञ्चपन, दिनांक 11-2-2014 द्वारा अरिधन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर में कॉकिलियर इंग्याटेशन आपरेशन एवं उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अन्तर्गत 46 चिन्हांकित एवं पात्र श्रिवणवाधित हितग्राहियों के कॉकलियर हम्प्लाण्ट अरविन्दों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्हीर के गाव्यम से कसर्य गये हैं।

3- अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर को रैं 2,50,75,000 / -का भुगतान किया गया है, शेष अधि रैं 1,15,77,800 / - का भुगतान होना शेष हैं। सम्बद्धिक अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर्युक्तानुसार अध्यवादित हितग्राहियों के कॉलंग्लियर इम्प्लाण्ट दिसम्बर 2014 पूर्व के हैं। सम्बद्धाक, अरविन्दो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिलाक 7 शितम्बर 3,015 की छाया अति संस्थन है।

कृपया प्रकारण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवस्त कराने का कष्ट करें। संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

आहुक्स द्वाप्य अनुमोदित

भूगरिस्वालक वास्ते आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, भ.प्र.

c.m. bal showsh latters



पूक्रमांक / नि.क. / १ / मुं.मं.बा.श्र.यो. / २०१५ / (५५७)

भोपाल दिनांक2,9 ०9 २०15

प्रतिलिपि:-

कलेक्टर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संयुक्त संचालक, सामानिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण इन्दौर 1-2--संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

्रिसपर संचालक वास्ते आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र.

हन्दौर संधाग, इन्दौर



दूरभाष कार्यालय : 0731–2435111 धूरभाष निवास : 0731-2700888

फेक्स : 0731-2539552

ई–मेल : commindore@nic.in

अ. शा. पत्र क. 339 विकाह

4 12 15

ANNEXULE - P/9

मुख्यमंत्री बाल अवण योजनांतर्गत हितग्राहियों के काक्लेयर इंप्लाट ऑपरेशन की शेष राशि के भुगतान के सब्ध में। हुस कार्यालय के पत्र कर्मांक 851 दि: 7.3.2015 एवं आशायाकाक्रमांक 207 दिनांक 29,10.2015 | l

Dear Paukay,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का छण्ट करें । मेरे व्दारा पूर्व में संदर्भित पन्नों के माध्यम से अरविंदो अस्पताल एवं मेडिकल ॉलिज में इंदौर एवं उज्जैन संमाग के श्रवणवाधित बच्चों के ऑपरेशन उपरांत शासन व्याप निर्धारित राशि के अनुस्तर ऑपरेशन व्यय का भुगतान किये जाने हेतु बजट अवंटन के लिए अनुरोध किया गरा था। लगभग एक वर्ष से अधिक की समयावधि के उपरात भी उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अरविंदों अस्पताल ब्दारा भवीन ऑपरेशनों को संघादित नहीं किया जा रहा है जिससे अनेक बच्चे उस आयु को पार कर रहे हैं जिसके बाद इनके अधिरेशन कराये जाने पर भी उसकी उपयोगिता नहीं होगी। वर्तमान में अश्विंदों अस्पताल इदोर के अलावा संभाग में अन्य किसी अस्पताल में उपरोक्त पुविधा उपलब्ध नहीं है। जनः घड अत्यन्त आवश्यक है कि इसके भुगसान के लिए संयुक्त संवालक रवारथ्य अथवा जन्म किसी प्रकिया के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था सुनित्सित की आहे।

संज्ञग्नः– संदर्भित पत्रो की कायाप्रतियां।

ister warm regarch,

भी एंकज अग्रवाल,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

पृ.क. **2.3** 5/ विकास-योजना / 2015 /

प्रतिलिपि:-

इंदीर, दि. 4 12 15

- श्री आशीष **उपाध्याय, सचिव,** मप्र शासन, वित्ता विभाग भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आवंटन शीध उपलब्ध कशने का कष्ट करें:

संयुक्त संवालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर की ओर भेज कर निर्देश हैं कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक समन्वय/कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक, अरविंदी हास्पीटल, इंदौर की ओर सूचनार्थ। कृपया भविष्य में होने वाले नवीन ऑपरेशन संबंधी बच्चों की रूची उपलब्ध करावें।

ANNEXURE-P/10



कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

(39)

भोती बंगला, महात्मा गाँधी भार्ग, इन्दौर-452007

दूरभाष : कार्यो. - 0.731-2435111, 2535222 (नि.) 2700888 फेक्स: 0731-2539552 email: commindore@nic.in / commindore@gmuil.com

вив. 341/18-6

इन्दौर, दिनांक 29 1116

प्रति.

संयुक्त सचिव, भारत शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

विषय:- ADIP SCHEME के अन्तर्गत धाँकितयर इम्प्लाट आपरेशन हेतु बच्चो की सूची।

इन्होर व उज्जैस संभाग में DEAF & DUMB ऐसे यहा जिनकी आयु 06 साल या उससे कम है का परीक्षण स्थानीय स्तर पर राज्य शासन द्वारा अधिगृह श्री अर्रविद्यों मेंडिकल कॉलेज इन्दौर में कराया गया है। दिगत वर्ष में राज्य शासन से राशि अप्राप्त रहने के फलस्वलप केन्द्र शासन की ADIP की योजना के अन्तगत इन बदबों का यथासंसय कॉक्लियर इम्प्लांट केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित नियमों व राशि के अन्तगत कराया जाना प्रस्तावित है। इन सभी बच्चों का प्रारंभिक परीक्षण कर इनको सजरी हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः केन्द्र शासन की योजना के अन्तर्गत उपरोक्त बच्चों की सर्विर दीने की कष्ट करें, जिससे इन पर कार्यवाही की जा सके।

(राजर्य दुबे) आयुक्त इन्दौर रामाग, इन्दौर

पृ०कमांक 34<u>9 / विकास / 15--16</u> प्रतिलिपि :--

इन्दौर दिसक 29/1/36

 श्री ईं0 रमेश कुमार, निज सचिद, शानलीय संघीय मुटी, सालाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कं0नीं0 202 प्सी विंग, शास्त्री भूवत, वेट प्रयुर 6 नई विक्ली वा और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त, छोक् स्वास्थ्य एवं पविकार वेपकाल भोकाल

 आधुँस्त सामाजिक न्याय भोपादः की और राचनार्थ प्रेषित।

| |}. ..

Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences Statement showing the position of Balance Payment as on 29.01.2016

. PE = 1	INSTALLMENT Payment Status After 2 years of Surgery	64800/																														İ
	Payment Status			Received	Received		Received	Received	Received		Received	Received	Received	Received	heosived	Received	Received	Received	Received	Received	Received	Resilved	Becalved	<u> </u>	Received	Received	Received	Beceived	Received	Necewed	Received	
- E	MOTALLMENT After 6 months of Surgery	.0000		00069	00069		00069	6000	00069		00069	00069	00069	00069	00069	03069	00069	00069	69000	00069	00069	00069	00069		00069	00069	00069	00069	00069	00069	00069	-
	Payment Status			Bernivel	Pareined	NECENCY.	Brienian	Oundhood	parlored	וליבוגנו	Received	Received	Received	Received	Received	Repelved	Retred	Received	Received	Neceived	Pecelved	Beceived	Received		Received	Received	Received	Received	Received	Received	Received	
	ST INSTALLMENT	Invest	pp3000j.	663000	00000	AND FOR	Wicza	O COOCUS	000000	000000	663000	663000	663000	99900	99000	900699	000299	000699	900099	000699	90038	000699	663000		663000	Ŀ	L.	L	ļ.,	1	L	4
	. <u></u>		25	A SOUTH	12/3/¢012	12/3/2014	40.74.4464.4	TUL-H-COLD	TOTAL ST	10/4/2014	3000,000,00	M/MC/DMAC	20/04/2014	30,004,0014	20.04/2014	30/M/2014	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	30,001,2014	30/04/2014	100700TE	+-	-	13/05/2014	1100570011	+	╅╴	╈	╼	-	_
 			g	2.44	12/3/0014	13/3/2014		1/4/2014	7/4/20034	1/4/2014	an Marchanta	Same Post	2004/2004	TOWN POWER	PIOCIPUIO	TEMPORAL PRINTERS	20ft CONTA	2PM477M4	78/0/14	_		-			M.0075/C1	10000	+	4	4	100000	+	13/05/2014
 			8		9372014	9/3/2014		¥2014 84,2014	5/4/2014	5/4/2014	1	b107/b1//2	27/04/2014	P100/100/12	#100/ rajes	P10//50//2	71/04/5014	_	Prophoto	+	+	STANDARY STANDARY	_	-	A CONTRACTOR	ALUS (CIM	4	ᅪ	┥	+	-	10/5/2014
	ANT PROJECT		род		1/3/2014	7/3/2014		4/4/2014	4/4/2014	4/4/2014		26/04/2014		26,04,2			-	_			Ž	2	_	26/04/2014		3/2/6	\$		15.6		_1	9/5/2014
	COCHLEAR IMPLANT PROJE		IPC NO.		285585	285584	 	290261	290260	290259		293914	293897	293918	293893	293917	23306	\$ Q	293902	233310	8 8 8 8	2000	200	393698		65.9£	2862	796294	296296	296287	296288	245289
	ž		PATENT NAME		MIRVIMITAL	NARIJN PANDRA		T I	RANVEER	NITAL		AJRA ABBAS	ALSHA BEE	GOURAY SONI	RAJ PATEL	ANUSH	TAMSHKA	ROUNKK	ASHISH	SHIKA	ATTE HUSSAIN	SHRIGHTI	BHAVESH	ROHAN ALIRA		PRINCE DHAKAD	DUSGU PANCHAL	DIVINAMENU	GOURIDEVANNI	AMMOL	AKSHTA	Madiano secul
			S.NO.	BATCH A	-	- - -	SATTLE B	5	, -		BATCHC	٤.	-	₩	6	10	H	 24 	ជ	1	 2	9	11) #	BATCH D	<u></u>	 a		1	1 2	 	5

Page 1 of 7

æ3

F. A	Ē										[(# <u></u>
2.6	ZAINUL ABEDIN ALI	305917	27/06/2014	28/06/2014	2/7/2014	3/7/2014	900699	Bonoived	10-1 william 12-1			
12	ARSHLAN SHEKH	306045	27/06/2014	28/06/2014	2/7/2014	3/7/2014	000299	Devolved	9.3 3.7	· "" · "" · "" · "		
88	BHUMIKA RATHORE	305919	27/06/2014	28/06/2014	5/7/2014	1/7/2014	000699	Received				
52	VANSHIKA PATEL	305920	27/06/2014	28/06/2014	5/7/2014	7/7/2014	993000	Racered				
e.	ABHISHEK	306039	27/06/2014	28/05/2014	2/7/2014	3/7/2014	663000	Persion		in the		77.7
BATCH F							- Contrar	וובנפואכה		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
33	MOHAMIMAD ZISHAN	319398	6/9/2014	7/9/2014	9/9/7014	10/9/2014	663000	Received				
æ	HARSH GENLOO	319380	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	0000099	Rarphyd			a, S	
æ	BHAVIYA JAJN	319395	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	000299	Received				
ж	ARSWAD SHEKH	319377	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	993000	Received		1		7
38	MAHAVISH KAJI	319384	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	0000	Becelved		*		•••
呂	ARSH GUPTA	319409	6/9/2014	7/9/2014	9/9/2014	10/9/2014	14500	Part Pownient		W		
	Part amount o	48c 14500	Part amount of 9s. 145000/- received of Patient Arth Gupta, amount pending of Rs.	Patient Arsh G	epta, amount p	ending of Rs.						
37	PARSHVI SHIRETA	319391	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014		•				
88	KRISHNA PATEL	319401	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014						
33	ARYAK	319403	6/9/7014	1/9/2014	9/3/2014	10/9/2014						
\$	CHANCISME MEHRA	319407	6/9/2014	1/9/2014	9/9/2014	10/9/2014						
귶	NIKITA KHARSODIYA	319419	6/9/2014	1/2/2014	9/3/2014	10/9/2014						
BATCH G												
₹\$	KHUSHI SHABASA	325697	10/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014						
43	DIPAU	325692	10/10/2014	12/10/2014	1102/01/61	14/10/2014						
\$	PAYNI SHUKLA	326042	11/10/2014	12/10/2014	₩	14/10/2014						
45	ARHAM JAIN	325695	10/10/2014		_	14/10/2014						
46	HISAMUDDIN	326030	11/10/2014	12/10/2014	13/10/2014	14/10/2014						
		:								:		
1st instalment of of S	1st instalment of of S.N. 36 to 46 pending of Rs. 7148000/-	7148000/										
2nd installment of of	2nd installment of of S.N. 25 to 46 pending of Rs. 1449000/-	1449000/										
3rd trestailment of of ;	3rd installment of of S.N. 1 to 46 pending of Rs. 3045600)	3045600/	ļ					-		.÷.		
Pryment Receiving details	stafis			_		Total Bill Amount	36652800	•		· .		
26/04/2014 13,26,000/-	÷.				Total Rece	Total Received Amount	25075000			•	3.	
15/05/2014 19,89,000/					Received on	Received on 28-01-2016	0000089					
04/07/2015 1,32,60,000/		•						-		*		
/000/00/2015 50/00/000/-		7		_	EKIDING-In wo	rds Fourty Seven	Las seemy Se	PENDING- In words fourty Serge (also Seventy Seren Thousand & Eight Hundred only	pht Hundred only			
30/03/2015 35,00,000/-		100	Sherred A	Phian			٠.					
			्रिलाम् म्योतायी		Ī							
		5	2000									
		6	कान-नांक-गला विभाग	विभाग								
		114-	सेस्स मेडिकस कांलेन	शतिब								(4)
		Ē	लड पी. जी. इन्सटीट्युट	टीट्युट,								₹3
		•	इन्हें	į		Page 2 of 2						>
			, y									

ANNEXURE-P/11/42

				_		_	_,_			τ-	_				_								_	Т	Ŧ							į	$(^2$	12
No.	ISTINSTALMENT	663000			26/04/2014	- Carlon		F 1000 100 110	15/05/2014							_		07-04-2014						-		-		-	07.04-2014		.		_	
			espe		103-12-2014	Ma. 12. 2014		104-10-2014	4-10-2014	10-10-2014		10/04/2014	2014/2014	30.084./2014	Horna /2014	20.814.7014	20.034/2014	20/04/2014	28.84/2014	BONIA/2014	Jun 1000	10.00 Page 1	1 4 10 C 14 1	200 MA 72014		113305/2014	12/06/2014	13.0572014	13/85/2014	13/M5/2014	13/65/2014	13/65/2014		
His coff			-	0001	SAllun A	03-12-2014	103-12-5014	104.02.3014	04-07-2014	405.04.0014	04-07-2874	2000	30/04/2071	28/04/14	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	30/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014		05-12-4014	105-12-2014	05-12-2014	05-12-2014	05-12-2014	05-12-2014	113/05/601	
Mechalenti	-	PROJECT		1000	١.	103-09-2014	03-09-2014	ватсн в	04-05-2014	04-05-2014	04-05-2014	BATCHC	27/04/2014	27/04/2014	27/04/2014	27/04/2014	Ţ	Ţ	Τ		Ţ	Т	Τ	Т		ă	-	Γ	Γ	Γ	1	``	05-10-2014	1
		COCHLEAR IMPLANT PROJECT		Pod		103-67-2014	03.07.2014	1	04-04-2014	04-04-2014			26 /04 /2014	41/04/2014	20 John 2014	26/04/2014	4106/40/07	\$45/04/2014 22/04/2014	26.04/2014	26 /04/2014	26 104 /2014	4100/107	26/04/2022	A105/40/02	26/04/2014	Total Control	105.00.2014	05.00-2034	105.00.2014	05-09-2014	05-09-2014	05-00-2014	05-09-2014	
Apres Jak	_	COCHE		ON WAL	lich av.	202200	782262	+occa71	1900261	200350	007062	23072		293914	293897	293918	293893	293917	. 293906	294059	1293902	293910	293903	293904	293895	1293899		296295	296293	296294	2962962	296287	296288	1296289
(<u>9</u>)				PATIENT NAME		PURVIMITTAL	VARUN PANDIYA		RITUL	RANVEER	IATIN		ATRA ABBASI	AICHA BEE	COLFRAY SON!	PA PATEL	NV FSH	TAJISHKA	BOUNAK	TSHS4	incurité incurité	ATTIC HITCSAIN	CHCISHTI	H2av 4H8	ROF AN ALIRA		PRINCE BHAKAD	DAICIGU PANCHAL	DIVYANSHU	GOURI DEVNAMI	ANMOL	AKSHITA	HEMA CHOUHAN
		<u>-</u> J	!	<u> </u>	S.N.O.		<u></u>	, Z		m	4	,			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	12		1.	<u>}</u>	:\:	<u> </u>		<u> </u>		2 5	<u> </u>		19	15	<u> </u>	<u> </u>	<u>3\2</u>	3 2	

7

43

		01-09-2015		,					٠								PENDING							PENDING						
	4102-30-4	07/4/3-2014	0740-8014	10/-0/- Will	107-03-2014		09-10-2014	09-10-2014	09-10-2014	109-10-2014	09-10-2014	09-10-2014	99-10-2014	09,10-2014	401.00	09/10-6014	03-40-5014	09-30-2034.		14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	14/16/2014						
	07-02-2014	07-02-2014	07-05-2014	07-05-2014	07-02-2014		09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09-09-2014	09.00.2014	00 00 2014	03-03-5013	09-09-2014	09.09.2014	09-09-2014		13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	12/10/2014	113/10/21					
DATOR	28/06/2014	28/06/2014	28/06/2014	28/06/2014	28/06/2014	BATCH F	09-07-2014	09-07-2014	09-07-2014	09-07-2014	09-07-2014	00.07.2014	00.00	4102-70-60	109-07-2014	09-07-2014	09-07-2014	09-07-2014	BATCH G	10-12-2014	10.12-2014	10.12.2014	10 10 0014	10-77-01	10-12-2014					
Ã	27/06/2014	27/06/2014	27,06/2014	27/06/2014			109-06-2014	09-06-2014	09-06-2014	09.06.2014	00-06-2014	00.00.004	\$107-90-60	09-06-2014	09-06-2014	09-06-2014	09-06-2014	09-06-2014		10,10,2014	10.10.2014	110-11-01	10-11-01	10-10-2014	10-11-2014	ABALPUR	 -	ļ.		
	305917	306045	305919	305920	306039	1	210309	210380	210395	210277	217377	31330	3194096	319391	319401	319403	319407	319419		1975507	25207	350075	326042	325695	326030					
	ZAINIIL AREDIN ALI	A PCHT AN SHEKH	DITTINGTY OF THOSE	IVANSHIKA DATEL	Aprilough	Konishek	It it will be a second of the	MORAMMED CISTALIA	HAKSR GERIADO	BEARITA MIN	ARSHAD SHEKE	N. AHAVISH KAJI	ARSH GUPTA	PARSHVI SHIREYA	KRISHNA PATEL	ADVAN	CUANCHAL MPHRA	SIVITA VHARSODIYA	WINITA MINIMANTON		KHUSHI SHAKMA	DIPAUL	PAVNI SHUKLA	ARHAM JAIN	PISAMIDIN	TI CANADA CANADA				•
i	76	2 2	12 02	9 0	23	3		55 (5	37	53,	34[*	35.	36	37	<u> </u>				<u>.</u>			43	44	45						

j

26/04/2014 13,26,000/- lst [ns. Of 2 pt. 15/05/2014 19,89,000/- lst lns. Of 3 pt. (3TO 5) 04/07/2015 1,32,60,000/- lst lns. Of 20 pt. (6TO 25) 09/01/2015 50,00,000/- lst lns. Of 5 pt. (26 TO 30) and ll nd lns. Of 25pt (1 TO 25)

8

स्विकारको न्याय सिला, बाकी को कब मिलेगा

बहर बनी हुई है सरकार

🐿 - सभाग के 500, प्रदेश के 7 हजार बंदवे इंतजार में

क्रेंगर। खंडवा की मूक-बधिर बादिताम स्पिका मुक्त को तो सीएम ने नाम विस्त सिया, लेकिन अब भी संबाद के करीक 500 बच्चे और पूरे प्रदेश के करीक 7 हजार ऐसे बच्चे हैं, जो क्रेंग्सिकार इंग्लॉट के लिए अपनी बारी क्रंड के क्रिके इसलिए नहीं है। इस्का इसका कि आवेदन पेडिंग है। इसका इसका कि आवेदन पेडिंग है। इसका इसका कि इसलिए नहीं हो पर क्रंड करों के स्वावेदम रे पुराने मिल क्रंड करों के स्वावेदम रोजना में क्रंड के क्रंड करों सहायता में क्रंड के क्रंड के क्रॉपरेशन के निप कर्मकार कराई के क्रंड परेशन के निप कर्ड के हिना कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई सहायता के हैं। क्रंड कराई कराई कराई है।



संक्षा। यहां के बड़ाबम क्षेत्र निवासी
मूक-बंधिर बालिका कार्तिशा 'चेरी'
(4) के इलाज के लिए जिला
अस्पताल में मुख्यमंत्री बाल श्रवण
योजना के तहत 6.50 लाख की
मदद के लिए आवेदन दिया गया था।
खंडवा से आवेदन इंदौर पहुंचा तो
डॉ. शरद पंडित ने उसे लौटा दिया।
कहा गया-बजट नहीं है। पहले ही
अस्पिदी अस्पताल को एक करोड़
रुपए चुकाना है, इसलिए इलाज
नहीं के सकता। परिजन ने मुंबई में
इलाज करवा लिया। मां स्वाति गुप्ता
द्वारा मुख्य सचिव को आवेदन देने
पर पंडित को सस्पेंड किया गया।

क कि किया तो है

जिल्हा संभाग स्तर पर ही हल होते हैं। कुछ बच्चों के किल्हाल इसके ऑपरेशन पर - **डॉ. एसएस पॉस्डाल**, सीएमएचओ

, The . . .

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / लीगल / इन्दौर / 2016 / पंजी – 24 / 4/48

भोपाल दिनांकः /5/23/2016

-:आदेश :--

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या —5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुये अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय, भोपाल को उच्च न्यायालय इंदौर में दायर विविध याचिका डब्ल्यू० पी० क्रमांक 1062/2016, पक्षकारी का नाम डॉ. शरद पंड़ित, इन्दौर विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में म.प्र. राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये है, निम्न लिखित कार्य करेगा:—

प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ठ रूप से निर्दिष्ठ की जाए।

2. समस्त सुससंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।

वादपत्र / याचिका में उटाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक रिपार्ट तैयार करेगा।

4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करायेगा ।

6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई ।

(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियाँ जिसमें वाद सुनवाई की तारिख भी शामिल होनी चाहिए !

कमशः (2

ž ··.. -

- 7. भामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना ओर मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत करना।
- 8. जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग को भेजेंगे ।
- 10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- 11. जैसे हो उसके अपना स्थनांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रटित / छुपी हुई ना रह जाये।
- 13. प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुर्करर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चिय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।
- 14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलें में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिरिम आदेश का पुनरीक्षण अप्रेषित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित करे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

्पृ०क्रमांकः ४ / लीगल / इंदौर / 2016 / पंजी-24 / 44.5 भोपाल, दिनांकः /5 /93 / 2016 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर (म.प्र.)
- 2. सम्भागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर सम्भाग इन्दौर म०प्र०।
- 3. प्रमारी अधिकारी— अपर संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय. की और शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने, उपस्थिति प्रकरण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी अवनी प्रगति रिपोर्ट के साथ अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले के प्रगति की प्रति विभाग के साथ साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजने चाहिए। आवेदन प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। उक्त न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यूपी. 1062/2016 मामले की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को उच्च न्यायालय इंदौर, में नियत है।

कृते / सचिव

्रि मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

